

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-451/2018

1. तेजा सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति कुम्हार निवासी मसानी तहसील टिब्बी ।
-वादी

बनाम

1. नाजर सिंह पुत्र शेर सिंह जाति कुम्हार निवासी मसानी हाल आबाद चक 5 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. बलदेव सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सुखदर्शन सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति कुम्हार निवासी गली नं० 5 ए हंसनगर, बठिण्डा (पंजाब)
4. तारा सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति कुम्हार निवासी मन्डी 365 हैड, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखदेव सिंह पुत्र नाजर सिंह जाति कुम्हार निवासी चक 5 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. गुरदास कौर पुत्री नाजर सिंह पत्नी अजमेर सिंह जाति कुम्हार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री अब्दुल सत्तार जोईया वकील वादी भिन जामिन मुदई श्री हरवंशसिंह प्रतिवादीगण भिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 14 जीजीआर पटवार हल्का सलेमगढ़ के प०न० 187/286 मु० 4 किला नं० 12,18,19,22,23, प०न० 187/287 मु० 6 किला नं० 2,3 कुल 1.7710 है० आराजी में प्रतिवादी नाजर सिंह के नाम से दर्ज 8/9 हिरसा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता हाजा में से प्रतिवादी नाजर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक२०१९.....अदा करें।

बसबत मेरे दस्ताख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....२०-२-२०१९.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
सदर वाहक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी